फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री डालुराम गमेती पुत्र श्री जगाराम गमेती नि.नाथियाथल पं.नाल तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद **– प्रत्यर्थी**

केस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 16/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी – अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये कमांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/306–307 दिनांक 08 मार्च, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कार्यालय हाजा की होने से प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग को जरिये पत्रांकः 1070 दिनांक 29.10.2021 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा अपीलांट श्री डालूराम गमेती द्वारा दिनांक 30.9.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छाया प्रति भिजवाते हुए विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपिया चाही गई । अपीलांट श्री डालुराम गमेती द्वारा दिनांक 30.9.2021 को प्रस्तुत परिवाद कार्यालय में दर्ज होना नहीं पाया जाने से सूचना का अधिकार कानून–2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत परिवाद–प्रार्थना पत्र की छाया प्रतिया प्रकरण में शीघ्र जांच करवाई जाकर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सीधे ही श्री डालुराम को सूचित करवाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को भिजवाते हुए प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद एवं अपीलांट श्री डालूराम गमेती को भी पृष्ठाकिंत की गई थी। अपीलांट श्री डालुराम गमेती द्वारा दिनांक 30.9.2021 को प्रस्तुत परिवाद कार्यालय में दर्ज होना नहीं पाया जाने से सूचना का अधिकार कानून – 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत परिवाद–प्रार्थना पत्र की छाया प्रतिया प्रकरण में शीघ्र जांच करवाई जाकर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सीधे ही श्री डालुराम को सूचित करवाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को भिजवाई जाकर प्रति अपीलांट को भी दी	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जा चुकी है। प्रभारी अधिकारी, न्याय–अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांकः 13994–95 दिनांक 22.11.2021 से प्रार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई थी वह प्रार्थी को वांछित पत्रांक से सीधे ही प्रार्थी को प्रेषित करते हुए प्रति इस अनुभाग को दी गई । इस कारण से आरटीआई आवेदन का निस्तारण उक्त सूचना से दिनांक 22.11.2022 को प्रार्थी को भिजवाई गई सूचना से होने का उल्लेख है। प्रार्थी के प्रथम अपील नोटिस के कम में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा ऑन लाईन आवेदन जो निस्तारित किया गया था। उसकी प्रति मय न्याय अनुभाग द्वारा जो सूचना दी गई उसकी प्रति संलग्न करते हुए प्रार्थी को डाक के माध्यम से 269 दिनांक 23.02.2022 को पुनः रजिस्टर्ड प्रेषित किया जाने का उल्लेख किया है।

लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना पत्रांकः 306–307 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपीलांट को भी दी जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद